

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- संस्था/चि0अ0/एटी/प035/15/ 617

दिनांक:- 7/10/15

:- आदेश :-

शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि. स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	बाडमेर	डॉ० ललित विश्वकर्मा पुत्र श्री हक्काराम सुथार मिठिया तला बायतु पनजी बाडमेर	05.11.89	OBC	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी बाडमेर के अधीन
2.		डॉ० किरण खत्री पुत्र श्री अशोक कुमार खत्री, 244 राय कॉलोनी पांच बत्ती चौराह बाडमेर	10.12.87	OBC	F	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी बाडमेर के अधीन
3.	भीलवाड़ा	डॉ० विजय कुमार मीणा पुत्र श्री नन्दलाल मीणा 741, विवेकानन्द नगर भीलवाड़ा	28.06.83			मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी भीलवाड़ा के अधीन
4.		डॉ० गुणवन्ती मीणा पुत्री श्री हरिनारायण मीणा 741, विवेकानन्द नगर भीलवाड़ा	14.06.85		F	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी भीलवाड़ा के अधीन
5.	झुन्झुनू	डॉ० इमरान खान, ए 178 बसन्त विहार हाऊसिंग बोर्ड, झुन्झुनू	01.05.85		M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी झुन्झुनू के अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि. स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेंगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आर.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करे तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3) संभागीय आयुक्त संबंधित।
- 4) जिला कलक्टर, संबंधित।
- 5) संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सकों की कार्यग्रहण की सूचना मय पदस्थापन स्थान के तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजवाने का श्रम करे।
- 8) प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अवलोड करावें।
- 9) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर